रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229519
SG-DL-E-09092021-229519

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2021/भाद्र 18, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 164
No. 257]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2021/BHADRA 18, 1943	[N. C. T. D. No. 164

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 सितम्बर, 2021

सं. फा. 11/58/प्रशासन / एलजे एवं एलए / 2019/7611-7616.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एच आई ऍम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 14 अगस्त 1986 की अधिसूचना संख्या फा. 2(3)/77– एस–III द्वारा अधिसूचित उप–सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग) के पद के लिए भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़ कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप–सचिव के पद के लिए निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (i) इन नियमों का नाम विधि, न्याय एवं विधायी कार्य उप-सचिव भर्ती नियम 2021 है।

(ii) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन समूह और ग्रेड वेतन / वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनूसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता अयोग्यता :- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका जीवित पति पत्नी है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचावः—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1	पद का नाम	उप—सचिव
2	पदों की संख्या	02* (2021) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3	वर्गीकरण	'क' वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित अलिपिकीय
4	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर 11 टिपण्णी: स्तर-11 (रू. 67700-208700)वेतन मैट्रिक्स में
5	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	चयन पद
6	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी ।	लागू नहीं
9	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
10	भर्ती की पद्वति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पद्धति - पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिशत – 100%
11	यदि पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	पदोन्नति: विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग के सहायक विधि सलाहकार जिसने ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्ण किया हो । टीप : जिन कनिष्ठों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ट भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते की उनके लिए अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, इसमें जो कम है और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/ पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार , राज्य सरकार एवं केंद्र-शाषित प्रदेशों के अधिकारी : (क) (i) जो अनुरूप पदों पर नियमित रूप से हों; या (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग मै स्तर-10

		(रू.56100-177500) वेतन मैट्रिक्स के नियमित पद पर अपनी नियुक्ति के पश्चात 05 वर्ष की नियमित सेवा दी हो। तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हों – (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से विधि स्नातक की उपाधि। (ii) विधि विभाग में विधायी या अथवा सलाह कार्य में 5 वर्ष का अनुभव या अधिवक्ता का 5 वर्ष का अनुभव । टीप : संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी रेखा में है प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति में विचार करने के लिए योग्य नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए योग्य नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	विभागीय पदोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष /सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष) 2. मुख्य-सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली (सदस्य) 3. प्रधान सचिव/ सचिव, विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली विभागीय स्थायीकरण समिति 1. मुख्य-सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली (अध्यक्ष) 2. प्रधान सचिव/ सचिव, विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली (सदस्य) 3. सचिव (सेवाएं) (सदस्य)
13	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोगका परामर्श लिया जाना है।	हर अवसर पर आयोग का परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
रूचि अग्रवाल असरानी, अतिरिक्त–सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th September, 2021

No. F. 11(58)/ADMN./LJ &LA/19/7611-7616.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification GSR 840 dated 13th July, 1959, and in supersession of the Notification No. F. 2(3)/77.SII dated the 14th August, 1986, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Union Public Service Commission's vide reference no. 3784 dated 26th August, 2021 hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Deputy Secretary in the Law, Justice and Legislative Affairs Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement** — (1) These rules may be called the Deputy Secretary in the Law, Justice and Legislative Affairs Department, Government of National Capital Territory of Delhi Recruitment Rules 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification and pay level in the pay matrix. -** The number of said post, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc**: - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**:- No person,

   (a) who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to any of the said posts:

   Provided that Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax:** - Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to recorded in writing be, and in consultation with Union Public Service Commission, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**:- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen. Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	**Name of Post**	Deputy Secretary			
2	**No of Posts**	2(2021) *Subject to variation dependent on workload			
3	**Classification**	**General Central Service** Non Ministerial Gazetted Group- A			
4	**Pay Level in the Pay Matrix**	11 Remark : Level-11 (Rs.67700- 208700) in the pay matrix			
5	**Whether Selection post / Non Selection Post**	Selection Post			
6	**Age Limits for Direct Recruits**	Not Applicable			
7	**Educational and other Qualification required for direct recruits**	Essential		Desirable	
		Qualification	Experience	Qualification	Experience
		Not Applicable		Not Applicable	
8	**Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees**	**Age:** Not Applicable **Educational Qualifications:** Not Applicable			
9	**Period of Probation if any**	2 years			
10	**Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**Method** Promotion failing which Deputation		**Percentage** 100	
11	**In case of recruitment by Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.**	**Promotion:** Assistant Legal Adviser, Law, Justice and Legislative Affairs Department with 7 years of regular service in the grade and having completed two to four weeks of training in the relevant field as prescribed by the Administrative Department. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less,			

		and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Govt./ State Govt./ Union Territories : (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years of service rendered after appointment thereto on regular basis post in Level 10 (Rs. 56100-177500/-) in the parent cadre or department. And (b) possessing the following qualification and experience:- (i) Degree in Law from a recognized University or equivalent. (ii) 5 years experience of legislative and or advice work in Law Department or 5 years experience as an Advocate. NOTE : The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of applications.
12	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Departmental Promotion Committee** 1. Chairman/Member UPSC (Chairman) 2. Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi (Member) 3. Pr. Secretary/ Secretary, Department of Law, Justice and Legislative Affairs, GNCTD (Member)
		Departmental Confirmation Committee 1. Chief Secretary, Delhi Administration (Chairman) 2. Pr. Secretary/ Secretary, Department of Law, Justice and Legislative Affairs, GNCTD (Member) 3. Secretary (Services) (Member)
13	**Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment**	Consultation with the Commission is necessary on each occasion.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

RUCHI AGGARWAL ASRANI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.09 22:23:52 +05'30'